[3/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1043]

परि.शि.क्र.-"35"

प्र.क्र. 1043

स्पष्टीकरण.– धारा में अभिव्यक्ति "शासन" तथा "देशी राज्य" के वही अर्थ होंगे जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (22) तथा (15) में इन अभिव्यक्तियों के लिये दिये गये हैं।]

[1][(3) प्रत्येक व्यक्ति——

(एक) जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा उसे मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व मंजूर किये गये किसी पट्टे के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण किये हुये है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से, और

(दो) जिसे राज्य सरकार या कलेक्टर या आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि का आवंटन भूमिस्वामी अधिकार में, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के पश्चात् किया गया है, ऐसे आवंटन की तारीख से, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भूमिस्वामी समझा जायेगा और उन समस्त अधिकारों दायित्वों के अध्यधीन होगा जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन किसी भूमि स्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये हैं:

[2][परन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसा व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि अंतरित नहीं करेगा और उसके पश्चात् धारा 165 की उपधारा (7–ख) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त कर ऐसी भूमि अंतरित कर सकेगा:–

(एक) मध्यप्रदेश साधारण खंड

1. अधिनियम क्रमांक 17 सन् 1992 द्वारा जोड़ी गई।
2. अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

Explanation. —In this section, the expression "Ruler" and "Indian State" shall have the same meanings as are *assigned to these expressions in clauses* (22) and (15) respectively by Article 366 of the Constitution of India.]

[1][(3) Every person—

(i) who is holding land in bhumiswami right by virtue of a lease granted to him by the State Government or the Collector or the Allotment Officer on or before the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 1992 from the date of such commencement, and

(ii) to whom land is allotted in bhumiswami right by the State Government or the Collector or the Allotment Officer after the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 1992 from the date of such allotment,

shall be deemed to be a bhumiswami in respect of such land and shall be subject to all the rights and liabilities conferred and imposed upon a bhumiswami by or under this Code:

[2][Provided that no such person, other than a person falling under any of the following cetegories, shall transfer such land within a period of ten years from the date of lease or allotment and thereafter may transfer such land with the permission obtained under sub-section (7-b) of section 165.

(i) a local authority as defind in clause (20) of Section 2 of the Madhya

1. Added by Act No. 17 of 1992.
2. Substituted by Act No. 14 of 2020.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

अधिनियम,1957 (कमांक 3 सन् 1958) की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(दो) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (कमांक 23 सन् 1973)की कमशः धारा 38 तथा 64 के अधीन गठित किसी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र प्राधिकरण;

(तीन) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (कमांक 3 सन् 1973) के अधीन गठित मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल;

(चार) कम्पनी अधिनियम, 2013 (कमांक 18 सन् 2013) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी जिसमें राज्य सरकार 51 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करती है;

(पांच) कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा नीलामी के माध्यम से भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटित है;

(छह) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित कोई शासकीय सत्ता जिसे भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटित है।]

159. भूमिस्वामियों द्वारा देय भू–राजस्व – धारा 158 के अधीन भूमिस्वामी होने वाला प्रत्येक व्यक्ति–

(क) यदि वह अपने द्वारा धारित भूमियों के सम्बन्ध में भू–राजस्व का भुगतान कर रहा था – ऐसे भू–राजस्व का; या

(ख) यदि वह अपने द्वारा धारित भूमियों के सम्बन्ध में लगान का भुगतान कर रहा था – ऐसे लगान के बराबर की रकम का;

भू–राजस्व के रूप में भुगतान करेगा ।

Pradesh General Clauses Act, 1957 (No. 3 of 1958);

(ii) a Town and Country Development Authority or a Special Area Development Authority consitituted under Section 38 and 64 respectively of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973);

(iii) the Madhya Pradesh Housing and Infrastruture Development Board consitituted under the Madhya Pradesh Griha Nirman Evam Adhosanrachna Vikas Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1973);

(iv) a government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) in which the State Government has more than fifty one percent shares;

(v) a person to whom land is allotted in Bhumiswami rights by the State Government though auction;

(vi) any government entity, notified by the State Government from time to time, to whom land is allotted in Bhumiswami rights.]

159. Land revenue payable by bhumiswamis. — Every person becoming a bhumiswami under Section 158 shall pay as land revenue

(a) if he was paying land revenue in respect of the lands held by him — such land revenue; or

(b) if he was paying rent in respect of the lands held by him— an amount equal to such rent.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

138

द्वारा उस भूमि पर कोई भार सृजित किया गया हो।

[1][(7–क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश भू–दान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्रमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 में विनिर्दिष्ट किये गये किसी भी भूमिस्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उक्त धारा में विनिर्दिष्ट की गई अपनी भूमि में के किसी भी हित का [2][कलेक्टर]की अनुज्ञा के बिना अन्तरण कर दें।]

[3][(7–ख) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, [2][कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है] अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, के बिना नहीं करेगा ।]

(8) इस धारा में की कोई बात किसी भूमिस्वामी को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का संख्यांक 19) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का संख्यांक 12) के अधीन दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूत करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या राज्य सरकार के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिये उसे प्राप्त है।

1. अधिनियम कमांक 15 सन् 1975 द्वारा अंतःस्थापित।
2. अधिनियम कमांक 17 सन् 1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम कमांक 15 सन् 1980 द्वारा अंतःस्थापित।

has been created on the land by a mortgage.

[1][(7-a) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no bhumiswami specified in Section 33 of the Madhya Pradesh Bhoodan Yagna Adhiniyam, 1968 (No. 28 of 1968) shall have the right to transfer any interest in his land specified in the said section without the permission of the [2][Collector].]

[3][(7-b) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), [2][a person who holds land from the State Government or a person who holds land in bhumiswami rights under sub-section (3) of Section 158] or whom right to occupy land is granted by the State Government or the Collector as a Government lessee and who subsequently becomes bhumiswami of such land, shall not transfer such land without the permission of a Revenue Officer, not below the rank of a Collector, given for reasons to be recorded in writing.]

(8) Nothing in this section shall prevent a bhumiswami from transferring any right in his land to secure payment of, or shall affect the right of the State Government to sell such right for the recovery of an advance made to him under the Land Improvement Loans Act, 1883 (XIX of 1883) or the Agriculturist Loans Act, 1884 (XII of 1884).

1. Inserted by Act No. 15 of 1975.
2. Substituted by Act No. 17 of 1992.
3. Inserted by Act No. 15 of 1980.

अनुभाग अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग